

06/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अ  
 उषु.। अ न्यायालय समय में वकील  
 वादी व वादीगण के नाम अलग-  
 समय में तीन बार आवजें लगाई  
 गई। कोई हाजिर नहीं। इससे स्पष्ट  
 होता है कि वकील वादी व वादीगण  
 अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं  
 हैं, लिहाजा वादी का वाद "अदम  
 पेंरवी व अदम टाजिरी" में खारिज  
 किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार  
 होकर दाखिल दफ्तर हो व नम्बर  
 से कम हो।

06/11/24

सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) बाडमेर

